



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]
No. 136]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 8, 2007/माघ 19, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 8, 2007/MAGHA 19, 1928

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

(योजना और मॉनिटरिंग खंड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2007

का.आ. 169(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 244(अ) तारीख 25 फरवरी, 2004 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 61बी और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची में क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
61बी	73ए	हरियाणा राज्य में यमुना नगर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 73 के जंक्शन से प्रारंभ होकर जगाधरी चौक (राष्ट्रीय राजमार्ग 73 के जंक्शन) को हरियाणा में छंछरौली, ताजेवाला, खिजराबाद, कलेसर, लाल डांग से होकर जोड़ते हुए और हिमाचल प्रदेश में बाटा चौक (पोंटा साहिब के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के जंक्शन) पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।”

[फा. सं. एनएच-14012/22/2004-पीएंडएम]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

(PLANNING AND MONITORING SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2007

S.O. 169(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) with number S.O. 244(E), dated, the 25th February, 2004, namely :—

In the Table to the said notification, for serial number 61B and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“TABLE

Serial Number in the Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)	National Highway No.	Description of National Highways
61B	73A	The highway starting from the junction of National Highway No. 73 near Yamuna Nagar in the State of Haryana and connecting Jagadhri Chowk (Junction with NH 73) via Chhachhrauli, Tajewala, Khizrabad, Kalesar, Lal Dang in Haryana and terminating at Bata Chowk (Junction with NH 72 near Paonta-Sahib) in Himachal Pradesh.”

[F. No. NH-14012/22/2004-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2007

का.आ. 170(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

(क) क्रम सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“अनुसूची

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	राज्य सरकार का नाम
8	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 10, सं. 21क, सं. 22 (5.735 किलोमीटर से 10.890 किलोमीटर को छोड़कर), सं. 64, सं. 65, सं. 71, सं. 71ख, सं. 72 सं. 73 और 73क का उतना भाग जितना हरियाणा राज्य के भीतर स्थित है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 71क ।	हरियाणा राज्य सरकार”

(ख) क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	राज्य सरकार का नाम
9	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 20, सं. 21, सं. 22 (सीमा सड़क विकास बोर्ड को सौंपे गए खंडों को छोड़कर), सं. 21क, सं. 70, सं. 72, और सं. 73क का उतना भाग जितना हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर स्थित है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 88।	हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार”

[फा. सं. एनएच-14012/22/2004-पीएंडएम]

प्रभाकर, उप-सचिव

पाद टिप्पण—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1096(अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सं. का.आ. 1398(अ) तारीख 27 सितम्बर, 2005 और सं. का.आ. 1584(अ), तारीख 10 नवम्बर, 2005 द्वारा संशोधित की गई।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2007

S.O. 170(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways number S.O. 1096(E) dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to the said notification,—

(a) for serial number 8 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :—

“SCHEDULE

Serial Number	Description of National Highways	Name of the State Government
8	So much of National Highways No. 10, No. 21A, No. 22 (excluding from km 5.735 to km 10.890), No. 64, No. 65, No. 71, No. 71B, No. 72, No. 73 and No. 73A as are situated within the State of Haryana and National Highway No. 71A.	State Government of Haryana”

(b) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :—

“Serial Number	Description of National Highway	Name of the State Government
9	So much of National Highways No. 20, No. 21, No. 22 (excluding the stretches entrusted to Border Road Development Board), No. 21A, No. 70, No. 72 and No. 73A as are situated within the State of Himachal Pradesh and National Highway No. 88.	State Government of Himachal Pradesh”

[F.No. NH-14012/22/2004-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and subsequently amended vide number S.O. 1398(E), dated the 27th September, 2005 and number S.O. 1584(E), dated the 10th November, 2005.